बिहार सरकार

समाहरणालय, कैमूर

(जिला पंचायत कार्यालय)

Ph No. :- 06189-223241 (O)
Fax No. :- 06189 – 223301
E-mail : dm-bhabua.bih@nic.in

आदेश संख्या.....04...../2019

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 4046/पं0रा0, दिनांक 25.07.2018 द्वारा निश्चय योजना अर्न्तगत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेय जल निश्चय योजना एवं गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायकों की तुरन्त व्यवस्था करने के निमित जिले में कुल 149 पंचायतों की संख्या के अनुसार चार पंचायत पर एक तकनीकी सहायकों का नियोजन किया जाना है। नियोजन किये जाने के पूर्व औपबंधिक एवं अंतिम मेघा सूची का प्रकाशन कर प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्पादन के उपरान्त चयनित उम्मीदवारों के नियोजन के पूर्व विभागीय पत्रांक 7150 दिनांक 20.12.2018 में दिये गये निदेशों का अनुपालन करते हुए चयनित उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु संबंधित संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को भेजा गया। इसी दरम्यान संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3837/पं0रा0, दिनांक 18.06.2019 से श्री रंजन कुमार एवं अन्य द्वारा तकनीकी सहायक के पद पर नियोजन से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर C.W.J.C No. 21651/2018 में दिनांक 12.06.2019 को पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया। इस मामले में निम्न आदेश पारित किया गया :–

"Let the matter be listed on 1st of July, 2019 giving last opportunity to the State respondent to file their counter affidavit latest by 24th June, 2019. Rejoinder, if any, may be filed by the Petitioners before 1st July, 2019".

Till next date, status quo, as on today, shall be maintained.

उपरोक्त पारित आदेश के आलोक में तकनीकी सहायक पद पर नियोजन की कार्रवाई स्थगित रखा गया। पुनः संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8638/पं0रा0, दिनांक 26.12.2019 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 06.12.2019 को पारित आदेश एवं विद्ववान महाधिवक्ता के परामर्श की प्रति भेजते हुए कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06. 12.2019 को निम्न आदेश पारित किया गया :–

"We modify the interim order dated 02.05.2019 passed in C.W.J.C No.9887 of 2019 (Virendra Kumar Paswan Vs. The state of Bihar & Ors.) and other consolidated/tagged cases clarifying that it shall be open for the State to complete the process of selection, but, however, in the order of appointment it be notified to each one of the selected candidates that their appointment shall be subject to the final outcome of the writ petitions and that they shall not claim any equity".

उपरोक्त आदेश के आलोक में विद्ववान महाधिवक्ता द्वारा निम्न परामर्श दिए गए हैं :–

Thus by the aforesaid order any interim order passed earlier in any of the tagged/consolidated cases listed before the Division Bench was effectively modified to the extent that the selection process can be completed and appointment can be made to each of the selected candidates but with stipulation that the appointment shall be subject to the final outcome of the writ petition and that the candidate shall not claim any equity. This evidently applies even in the present cases bearing CWJC No. 21651/18 and CWJC No.15860/19 which had been listed before the Division Bench and were heard as tagged cases by the Hon'ble court on 06.12.2019. Hence, in my opinion, all the interim orders which had been earlier passed in the cases which were listed and heard. before the Division Bench on 06.12.2019 stands modified to the extent as directed by the Hon'ble court in it's order quoted as above. This includes even CWJC No.15860/19 and CWJC No.21651/18. Thus in my view there is no bar or hindrance in completing the process of selection and making appointments if not already done but with stipulation as directed by the Hon'ble court.

अतः तकनीकी सहायक के पद पर C.W.J.C No. 21651/2018 में उपरोक्त पारित आदेश एवं विद्ववान महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में तकनीकी सहायक के पद पर इस शर्त के साथ नियोजन की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस वाद में पारित होने वाले अंतिम आदेश को मानने की बाध्यता होगी। **तद्नुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Adverse निदेश पारित किए जाने की स्थिति में निम्नांकित उम्मीदवार द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के दावे स्वीकार नही होंगे। अर्थात माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अक्षरशः नियोजित तकनीकी सहायकों पर लागू किया जाएगा।** 25 तकनीकी सहायकों का शौक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र के सत्यापनोपरान्त इस कार्यालय के आदेश संख्या 01/2020 एवं ज्ञापांक 01/पं0, दिनांक 03.01.2020 द्वारा नियोजन किया जा चुका है। वर्त्तमान में 01 तकनीकी सहायक का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र सत्यापनोपरान्त इनके संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था से प्राप्त हो चुके है, जिनका नियोजन निम्नप्रकार किया जाता है :–

क्र0	चयनित उम्मीदवार का नाम/ पता	जन्म तिथि	Male/ Female	शैक्षणिक योग्यता	पद का नाम	चयन सूची का क्रमांक/आरक्षण
1	2	3	4	5	6	7
1	**HEMLATA PATEL, D/O-RAMASHRYA SINGH, VILL-RAMRASAHI, POST-PATIHATA CHUNAR, DIST-MIRZAPUR (UTTAR PRADESH), PIN-231304**	**10.09.1995**	**F**	**DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING**	**TECHNICAL ASSISTANT**	**21/URF-4**

उपरोक्त सूची में अंकित तकनीकी सहायकों का नियोजन विभागीय निदेशानुसार निम्न शर्तो के अनुसार किया जाता है:–

1. प्रत्येक जिले में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुसार चार पंचायत पर एक की दर से तकनीकी सहायक के पद मान्य होंगे।
2. यह चयन दिनांक 31 मार्च, 2020 तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा।
3. संविदा शर्तो के अनुसार अभ्यार्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ एकरारनामा किया जाएगा।
4. प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर चयनित कर्मी को हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी को होगा। वे किसी भी कर्मी को हटाने से पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए सुनने का अवसर प्रदान करेंगे।
5. जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के स्तर पर अपील की जा सकेगी। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
6. इन कर्मियों को वर्ष में 16 दिनों की आकस्मिक अनुपस्थिति अनुमान्य होगी।
7. **मानदेय–** इन कर्मियों को पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय देय होगा। तत्काल तकनीकी सहायक को 27,000.00/– रूपया प्रतिमाह का मानदेय अनुमान्य होगा। इसमें समय–समय पर वित्त विभाग की सहमति से वृद्धि की जा सकेगी। आपके योगदान के उपरान्त दोबारा प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही मानदेय भुगतान किया जा सकेगा।
8. मानदेय के आधार पर चयनित उपरोक्त कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
9. मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

तकनीकी सहायक के निम्नवत् दायित्व होंगे :–

(i). तकनीकी प्रबंधन सुनिश्चित करना।

(ii). वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा क्रियान्वित होने वाले कार्यो का प्राक्कलन बनाना।

(iii). तकनीकी अनुश्रवण, मापी–पुस्तिका संधारण, कार्यो का निरीक्षण, ऑनलाईन रिपोर्टिंग, गुणवत्ता जाँच सुनिश्चित करना।

(iv). जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर आवंटित अन्य कार्य।

उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को निदेश दिया जाता है वे दिनांक 20-3-2020 तक जिला पंचायत कार्यालय में एकरारनामा के अलावे निम्न कागजात के साथ योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

1. चिकित्सा प्रमाण–पत्र (सिविल सर्जन द्वारा निर्गत)
2. अपराधिक मुकदमा नहीं रहने का शपथ पत्र (मूल में)
3. दहेज नहीं लेने/नहीं देने का शपथ पत्र (मूल में)
4. शैक्षणिक योग्यता की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

जिला पदाधिकारी,
कैमूर।

ज्ञापांक XVII-13-19-360/पं0, दिनांक 7.3.20/

प्रतिलिपि :– नियोजित तकनीकी सहायक को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी/आईटी0 प्रबंधक, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आईटी0 प्रबंधक इसे कैमूर के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय कोषागार पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कैमूर जिले के सभी वरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– चयन समिति के सभी सदस्यगण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

7.3.20
जिला पदाधिकारी,
कैमूर।